सूचना का अधिकार मामला

सं-28/1/2017-स्थापना -V /1608-1610

भारत सरकार

केन्द्रीय जल आयोग

चौथी मंजिल (दक्षिण), सेवा भवन,
राम कृष्ण पुरम, नई दिल्ली-110066.

दिनांक: 13 सितम्बर, 2018

सेवा में,

श्री दिनेश, पुत्र श्री हरदयाल,
गंगवार, जे-27ए शास्त्री नगर,
बरेली, उत्तरप्रदेश – 243122

विषय: सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत सूचना के अन्तर्गत श्री दिनेश, पुत्र श्री हरदयाल गंगवार, जे-27ए शास्त्री नगर, बरेली, उत्तरप्रदेश - 243122 से प्राप्त आवेदन।

मान्यवर,

कृपया अपने सूचना के अधिकार आवेदन पत्र दिनांक 24.08.2018, जो कि स्थापना-5 अनुभाग, केन्द्रीय जल आयोग में 30.08.2018 को प्राप्त हुआ, का सन्दर्भ लें जिसके माध्यम से आपने विभिन्न बिन्दुयों के माध्यम से सूचना माँगी है ।

2. आपके द्वारा मांगी गई सूचना के सूचना के सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि स्थापना-5 अनुभाग, केन्द्रीय जल आयोग के सम्बन्ध में बिन्दुवार सूचना निम्न प्रकार है:

मांगी गई सूचना	**दी जाने वाली सूचना**
महोदय में यह जानना चाहता हूँ, कि यदि पति पत्नी दोनों ही केन्द्रीय जल आयोग में ग्रुप बी में कार्यरत हों तो क्या उनकी नियुक्ति एक ही स्थान पर हो सकती है यदि हाँ तो उसके लिए क्या नियम तथा क्या ओपचारिकताएं सम्बंधित कर्मचारी द्वारा करनी होंगी ।	इस विषय में स्थापना-5 अनुभाग, केन्द्रीय जल आयोग में कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 30 सितम्बर, 2009 में समेकित दिशा निर्देशों का पालन किया जाता है । उक्त कार्यालय ज्ञापन को कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) की वेबसाइट https://dopt.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है यदि आप उक्त जानकारी की प्रति चाहते हैं तो सूचना के अधिकार (रेगुलेशन ऑफ़ फीस एन्ड कॉस्ट) नियम 2005 के अनुसार कुल 6 रुपये, 2 रुपये प्रति पृष्ठ के हिसाब से पोस्टल आर्डर/डिमांड ड्राफ्ट डी.डी.ओ.-II, केन्द्रीय जल आयोग के पक्ष में जो दिल्ली/नई दिल्ली को देय हो, भेज सकते हैं ।

3. उपरोक्त प्रदान की गई सूचना से संतुष्ट न होने की स्थिति में, उपरोक्त सूचना प्राप्त होने के तीस दिन के अंदर, आप अपनी प्रथम अपील श्री एन. मुखर्जी, निदेशक PA(S), 7वीं मंजिल (दक्षिण), केन्द्रीय जल आयोग, सेवा भवन, राम कृष्ण पुरम, नई दिल्ली - 110066 को भेज सकते हैं।

भवदीय,

राघवेन्द्र भारती 13/9/18

(आर. एन. भारती)
केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी एवं अवर सचिव
☎: 011 - 29583327

प्रति:

3. नोडल अधिकारी एवं अवर सचिव, केन्द्रीय जल आयोग, सेवा भवन, राम कृष्ण पुरम, नई दिल्ली - 110 066.
4. Deputy Director, SM Dte., CWC with the request to upload the letter/reply on CWC website.

14/9/18
AD-II(A)

एस.एम. अनु./Sec./निदे./Dte.
डा. सं./Dy. No. 211
दिनांक/Date 13/9/18